संख्या- 1/1654/क.नि.प्र./26-3-2013-11(18) /85

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,
महानगर,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग। **लखनऊ : दिनांक: 28 नवम्बर,2013**

विषय:- उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्र के कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या-1653 दिनांक 08-08-2013 एवं पत्र संख्या- 2448 दिनांक 23-10-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्मिकों को निगम कार्मिक माने जाने एवं तद्नुसार उन्हें देय लाभों को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में है।

2. इस सम्बन्ध में विदित है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत प्रश्नगत कार्मिकों को निगम कार्मिक माने जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-632/क.नि.प्र./26-3-12-11(18) /85 दिनांक 15 जून,2012 द्वारा शासन का निर्णय निगम को संसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपके उक्त पत्र दिनांक 08-08-2013 एवं 23-10-2013 द्वारा शासन के संज्ञान में लाये गये बिन्दुओं पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्मिकों की नियुक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी है और यह कार्मिक निगम द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कर रहे हैं तथा प्रश्नगत कार्मिकों को शासकीय कार्मिक घोषित करने का औचित्य शासन द्वारा नहीं पाया गया है। अत: सम्पूर्ण परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत प्रश्नगत कार्मिकों को निगम का कार्मिक माने जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय की पुन: पुष्टि की जाती है। तद्नुसार प्रश्नगत कार्मिकों को निगम कार्मिकों की भांति समय-समय पर अनुमन्य समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ देय होंगे।

3. मा. मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासनादेश संख्या-04एम.एस./क.नि.प्र./26-3-12-11(38)/2011 दिनांक 01-05-2012 द्वारा निगम के नियमित/पूर्णकालिक कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-5 वी.आई.पी./44-2-2003-2/च.स./88 दिनांक 11 जुलाई,2003 द्वारा मृतक आश्रितों को सेवा में

http://shasanadesh.up.nic.in

नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निदेश जारी किये गये हैं। अत: इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in